

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY.

असाधारण
EXTRAORDINARY

सं० 133]
No. 133]

दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 14, 1995/आषाढ़ 23, 1917
DELHI, FRIDAY, JULY 14, 1995/ASADHA 23, 1917

[पी.आर.डी. सं. 208
[P. R. D. No. 208

भाग-IV
PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (लेखा) विभाग
अधिमूचना

दिल्ली, 14 जुलाई, 1995

फा. सं. 6(5)/78-वित्त (लेखा)/खण्ड-II : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली के उपराज्यपाल, इस सरकार की दिनांक 21 नवम्बर, 1994 की अधिमूचना द्वारा जारी की गई उपराज्यपाल/मुख्यमंत्री राहत कोष (आय एवं व्यय के विनियम) नियमावली, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

- (1) पैरा 2 (ग) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए और दिल्ली कल्याण समिति तथा ऐसे अन्य संस्थाओं में अंशदान जिसे उपराज्यपाल/मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित किये जाएंगे।
- 2 और पैरा 2 ग की नीमरी लाइन में जहाँ "केवल" लोप किया जाए।

आदेश द्वारा,

के. एस. बैदवान, प्रधान सचिव

FINANCE (ACCOUNTS) DEPARTMENT
NOTIFICATION

Delhi, the 14th July, 1995

No. F. 6(5):78-Fin(A/c)s Vol. II :—The Lieutenant Governor, Delhi is pleased to make the following amendments in the Lieutenant Governor/Chief Minister's Relief Fund (Regulation of Income and Expenditure) Rules, 1994 issued vide this Government's Notification No. F. 6(5):78-Fin (A/c)s Vol. II. dated 21st November, 1994, namely :—

AMENDMENT

1. Add the following at the end of Para 2(c) :—
And contributions from Delhi Kalyan Samiti and such other organisations as may be approved by LG/CM from time to time.
2. Further, the word 'solely' appearing in line 3 of Para 2(c) will stand deleted.

By Order,

K. S. BAIDWAN, Pr. Secy.

वित्त (सामान्य) विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 14 जुलाई, 1995

सं. फा. 4(20)/95-वि. (सा.)/(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस सरकार की अधिसूचना संख्या फा. 4(20)/95-वि. (सा.)/(i) दिनांक 15 जून, 1995 जो कि दिल्ली वित्री कर अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (1) के नीचे परन्तुक के अन्तर्गत जारी हुआ था, में महर्षे निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

कही गई अधिसूचना में,—

- (क) अनुच्छेद 2 की पंक्ति संख्या 4 व 5 में आये अक्षर, शब्द, अक्षर एवं कोष्ठक "अधिसूचना सं. फा. 4(73) 94-वि. (सा.)/(1)" के स्थान पर अक्षर, शब्द, अक्षर एवं कोष्ठक "अधिसूचना सं. फा. 4(73)/74 वि. (सा.)/(1)" प्रतिस्थापित किए जाने हैं,
- (ख) जोईक "संशोधन" के नीचे कम संख्या (ii) और (iii) की प्रविष्टियों समाप्त की जाती है और कम संख्या (iv) और (v) की प्रविष्टियों की क्रम संख्या क्रमशः (ii) और (iii) की जाती है।

FINANCE (GENERAL) DEPARTMENT NOTIFICATIONS

Delhi, the 14th July, 1995

No. F. 4(20)/95-Fin.(G)'(i) :—The Lt Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following amendments in this Government's notification No. F. 4(20)/95-Fin.(G)'(i) dated 15th June, 1995, issued under the Third Proviso to sub-section (1) of section 4 of the Delhi Sales Tax Act, 1975, namely :—

AMENDMENTS

In the said notification,—

- (a) for the words, figures, letters and brackets "notification No. F. 4(73)/94-Fin.(G)'(i)" occurring in lines 4 and 5 of para 2, the words, figures, letters and brackets "notification No. F. 4(73)/74-Fin.(G)'(i)" shall be substituted;
- (h) under the heading "AMENDMENT", entries at serial No. (ii) and (iii) shall be omitted and entries at serial No. (iv) and (v) shall be renumbered in place thereof as entries No. (ii) and (iii) respectively.

सं. फा. 4(20)/95-विन (सा.)/(ii) :—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस सरकार की अधिसूचना संख्या फा. 4(20)/95-विन (सा.)/(ii) दिनांक 15 जून, 1995 की धारा 4 की उपधारा (1) के नीचे परन्तुक के अन्तर्गत जारी हुआ था, में महर्षे निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

कही गई अधिसूचना के जोईक "वस्तुओं का नाम" के नीचे की पहली वस्तु में, कहने का अर्थ है कि, आयरन व स्टील कोष्ठक का वाक्य "[जो वस्तुएं इस सरकार की अधिसूचना संख्या 4(11)/94-विन(सा.)/(iv) दिनांक 20 मई, 1994 में वर्णित हैं वे इसमें सम्मिलित नहीं हैं तथा उन पर 1 प्रतिशत की दर से कर लगेगा]", जो कि उक्त वस्तुओं के अंत में आया है, समाप्त किया जाना है।

No. F. 4(20) 95-Fin(G)'(ii) :—The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following amendments in this Government's notification No. F. 4 (20)/95-Fin(G)'(ii) dated the 15th June, 1995, issued under the Third proviso to sub-section (1) of section 4 of the Delhi Sales Tax Act, 1975, namely. —

AMENDMENTS

In the said notification, under the heading "NAME OF THE GOODS", in the first item of goods, that is to say, Iron & Steel, the bracketed phrase "(other than the goods specified in this Government's notification No. F. 4(11)/94-Fin(G)'(iv) dated the 20th May, 1994 in respect of which the rate of tax will continue to be one percent)" occurring at the end of the said item of goods shall be omitted.

सं. फा. 4(20)/95-विन (सा.)/(iii) :—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल महर्षे केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति में, इस सरकार की अधिसूचना सं. फा. 4(11)/95-विन (सा.) (iv) दिनांक 20 मई, 1994 जो कि दिल्ली वित्री कर अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (1) के पहिले और तीसरे परन्तुक के अन्तर्गत जारी हुआ था, में निम्न संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

कही गई अधिसूचना में शब्द "रुपये का एक पैसा" को निम्न द्वारा विस्थापित किया जाना है, अर्थात् :—

"रुपये के दो पैसे"

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल के आदेश में और उनके नाम पर.

डॉ. पी. द्विवेदी, उपसचिव

No. F. 4(20)95-Fin(G)(iii) :—The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make, with the prior approval of the Central Government, the following amendments in this Government's notification No. F. 4(11)95-Fin(G)(iv) dated the 20th May, 1994, issued under the first and Third provisos to sub-section (1) of section 4 of the Delhi Sales Tax Act, 1975, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, for the words "One paise of the rupee", the following shall be substituted, namely:—

"Two paise of the rupee".

By order and in the name of
the Lt. Governor of the
National Capital Territory of
Delhi,

D. P. DWIVEDI, Dy. Secy.